न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :— श्री एस.एम.शाह, आर.ए.एस.

वादी :—	बनाम	प्रतिवादीगण :—
श्रीप्रकाश सोमानी पुत्र हरिराम महाजन सा. मीठड़ी		1. हेमाराम पुत्र गोपीराम खटीक 2. पेमाराम पुत्र गोपीराम खटीक 3. खातून बानो पत्नी मो. हुसैन सांई मुसलमान सा. मीठड़ी 4. तहसीलदार नांवा

दावा बाबत :— खातेदारी अधिकारो की घोषणा व बंटवारा

उपस्थित :— श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा वकील वादी
श्री गोपालसिंह राठौड़ वकील प्रतिवादी 1, 3

मुकदमां नम्बर :—54/2014 निर्णय दिनांक :— 10.04.2017

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम मीठड़ी के खसरा नम्बर 1284, 1290, 1291 कुल रकबा 3.56 हैक्टयर भूमि स्थित हैं जिसमें से 0.11 हैक्टयर भूमि वादी ने जरिये रजिस्टर्ड बैचान गफुर शाह, जब्बरशाह पि. बशीरशाह के वारिसान से खरीद की हैं जिसका राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण संख्या 1589 दिनांक 19.12.2014 द्वारा अमल दरामद हो चुका हैं, तत्कालिन विक्रेतओं द्वारा वादी को खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.11 हैक्टयर भूमि का मौके पर कब्जा सुपुर्द किया हैं तब से लेकर आज दिनांक तक वादी मौके पर काबिज काश्त हैं। वादी ने प्रतिवादी को भूमि का विधिवत रूप से बंटवारा करवाकर अलग अलग होल्डिंग कायम करवाने की कहने पर उनके द्वारा इन्कार होने पर यह वाद पेश किया हैं वादी ने वाद पेश कर ग्राम मीठड़ी के खसरा नम्बर 1284, 1290, 1291 कुल रकबा 3.56 हैक्टयर भूमि में से खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.11 हैक्टयर सम्पूर्ण भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर शेष भूमि से नाम हटाया जाकर वादी की अलग होल्डिंग कायम करने की इस्तदुआ की है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 1 व 3 ने इकबालिया जवाब पेश कर वादी के वाद को पूर्णतया स्वीकार करते हुऐ वादी को खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.11 हैक्टयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर अलग होल्डिंग कायम किऐ जाने हेतु सहमति दी हैं तथा किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं होना स्वीकार किया हैं शेष प्रतिवादीगण के सम्मन तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई

10/4/17
उपखण्ड अधिकारी
नांवा (नागौर)

है। साक्ष्य वादी में वादी स्वंय एवं गवाह धर्मचन्द व कैलाशचन्द के शपथ पत्र पेश किऐ हैं ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य बन्द की जाकर वकुलाय की बहस सुनी गइ पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया।

वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के अनुसार ग्राम मीठड़ी के खसरा नम्बर 1284, 1290, 1291 कुल रकबा 3.43 हैक्टयर भूमि गफूरशाह, जब्बरशाह पि. बशीरशाह 1/4 जाति सांई हेमाराम, पेमासम पि. गोपीराम खटीक 3/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड था जिसमें खातेदार गफूरशाह व जब्बर शाह का स्वर्गवास होने पर उसके वारिसन के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड की गई हैं जिन्होनें अपनी खातेदारी सुदा भूमि में से 0.11 हैक्टयर भमि जरिये रजिस्टर्ड बैचान वादी के पक्ष में किया हैं जिसके तहत 0.11 हैक्टयर भूमि की खातेदारी वादी के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार उक्त विवादित आराजीयत में से वादी 0.11 हैक्टयर भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचान के खरीद की हैं तथा वादी ने अपने वाद में वादी को विक्रताओं द्वारा खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.11 हैक्टयर भूमि कब्जे में सुपुर्द किया जाना बताया हैं जिसके विक्रेता प्रतिवादी 1 व 3 ने स्वीकार किया हैं प्रस्तुत गवाहो ने भी वादी का कब्जा खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.11 हैक्टयर भूमि होना बताया हैं प्रतिवादी 1 व 3 उक्त भूमि के सह खातेदार काश्तकार हैं जिन्होन वादी के वाद को स्वीकार किया हैं प्रस्तुत रिकार्ड एवं प्रतिवादी 1 व 3 की स्वीकारोती एवं प्रस्तुत गवाहों के बयानों से वादी के वाद की पुष्टी होती हैं जिससे वादी का वाद साबित होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम मीठड़ी के खसरा नम्बर 1284, 1290 कुल रकबा 3.45 हैक्टयर में से वादी का नाम हटाया जाकर खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.11 हैक्टयर में से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर वादी को खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.11 हैक्टयर सम्पूर्ण भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 1284 की अलग होल्डिंग की जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। नियमानुसार स्टाम्प पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.04.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/4/17

(एस.एम.शाह)
उपखण्ड अधिकारी, नांवा